न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/314 जिला–अजमेर

सीताराम पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह जाति रावत निवासी ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।
2. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 श्री गोपी
3. गेन्दी पुत्री स्व0 श्री गोपी
4. गुमानी पुत्री स्व0 श्री गोपी
5. प्रभुलाल पुत्र स्व0 श्री गोपी
6. मुन्नालाल पुत्र स्व0 श्री गोपी
7. रामकरण पुत्र स्व0 श्री गोपी
8. लक्ष्मण पुत्र स्व0 श्री गोपी
9. सीताराम पुत्र स्व0 श्री गोपी

   समस्त जाति जाचक/ढोली निवासीगण ग्राम मुहामी तहसील व जिला अजमेर।

—————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट बूबानी दिनांक 09–12–2021
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2020
बउनवान सीताराम बनाम राज0 सरकार व अन्य

—————

उपस्थित– 1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 9

निर्णय

दिनांकः– 10–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136, 132 के तहत राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जिसे

उन्होंने कैम्प कोर्ट बुबानी में अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–12–2021 द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को कोर्ट केम्प में नियत कर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक त्रुटि की है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नहीं हो सकी। जब अपीलार्थी अपने अधिवक्ता से प्रकरण में आगामी तारीख पेशी हेतु सम्पर्क किया तो उनके द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण केम्प कोर्ट में दिनांक 9–12–2021 को ही निस्तारित कर दिया गया है जिस पर अधिवक्ता द्वारा दिंनांक 5–1–2022 को अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 12–1–2022 को नकल प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर कथन किया है जो अस्वीकार है क्योंकि स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति में निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी स्वयं प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत बूबानी में उपस्थित हुआ था एवं उपस्थित होकर फर्द अहकाम पर अंगूठा निशानी अंकित की है जो कि यह ताईद करता है कि अपीलार्थी स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण के निस्तारण हेतु निवेदन किया था जिसे तहत अधीनस्थ न्यायलय ने पूर्ण रूप से नियमों की पालना करते हुए धारा 132 एवं 136 के तहत राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने का क्षैत्राधिकार नहीं होने से कानूनन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश की कोई जानकारी नहीं है एवं अधिवक्ता द्वारा दूरभाष पर सम्पर्क करने पर जानकारी होना बताया जो कि अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम दिनांक 9–12–2021 से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्य अंकित करते हुए झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से सव्यय खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा

समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी की आराजी ग्राम मुहामी भू–अभिलेख निरीक्षक गगवाना तहसील अजमेर में स्थित है। जिसके खाता संख्या व खसरा नम्बर वर्किंग 557 रकबा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 558 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 733 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म चाह कुंआ एवं खसरा नम्बर 732 मिन रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा नम्बर 732 मिन रकबा 0.23 हैक्टर है। जिस पर आने जाने का रास्ता वर्किंग खसरा नम्बर 556 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा किस्म गांव के मार्ग तथा पगडंडिया रास्ते के नाम दर्ज थी जिसे अपीलार्थी अपने कुंए व आराजी में आने जाने वाले रास्ते का उपयोग अपने पूर्वजों के समय से करता चला आ रहा था। उक्त खसरा नम्बर में एक हैण्ड पम्प सरकार के द्वारा निर्मित किया जिसका उपयोग गांव के सभी आमजन करते आ रहे है वहां पर अपीलार्थी के पूर्वज ने एक कमरा जानवरों के चारा रखने हेतु निर्मित करीब 100 साल से कर रखा है व उक्त खसरा वर्किंग नम्बर 555 का वर्तमान खसरा नम्बर 729 रकबा 0.3000 हैक्टर चाही 3 है जबकि खसरा नम्बर 730 का रकबा 0.0200 हैक्टर चाही–3 दर्ज कर राजस्व नक्शा में वर्किंग खसरा संख्या 558 के हिस्से में खसरा नम्बर 730 को दर्शा दिया जबकि खसरा संख्या 730 वर्किंग खसरा संख्या 555 का भाग था। प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम बिना आदेश व अपीलार्थी को सुने अवैधानिक तरीके से नाम दर्ज करने के कारण अपीलार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व राजस्व नक्शा को दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। राजस्व नक्शा सन् 1970–71 व सन् 1984–1985 से राजस्व नक्शे में भिन्नता होना साबित है। वर्तमान में भू–संशोधन व राजस्व नक्शा की कार्यवाही पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कायम की गई आधारभूत जमाबंदी व नक्शा में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री तथा बिना अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये लिपिकीय त्रुटि कारित करते हुए आधारभूत जमाबंदी व नक्शा में गलत इन्द्राज को पूर्व नक्शा सन् 1970–71 के अनुसार दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वर्किंग खसरा संख्या 555, 556, 557, 558 के राजस्व नक्शे अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से पैमाईश करवाकर वर्तमान नक्शा व जमाबंदी दुरूस्त की जावें

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को कोर्ट केम्प बूबानी में सभी पक्षकारों को बिना साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की अनुपस्थिति में प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा अपनी उक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात

बाबत नक्शा दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। यदि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर शंका होने पर अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजियात बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना चाहिए था। प्रस्तुत प्रकरण अपूर्ण होने एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के मध्य किसी प्रकार का समझौता नहीं होने से कैम्प कोर्ट में कतई निर्णित नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रशासन गांव के संग अभियान में दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है ।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत निर्णय परित नहीं कर केवल मात्र यह कहते हुए कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम संधारण योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दर्ज रेकार्ड के अनुसार वर्तमान में रेकार्ड एवं नक्शे की दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था न कि उद्घोषणा खातेदारी बाबत अनुतोष चाहा है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष मानते हुए अस्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कीजाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट बूबानी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–12–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 132 व 136 में खातेदारी उद्घोषणा चाही जबकि खातेदारी उद्घोषणा उक्त अधिनियम में नहीं दी जा सकती है। कैम्प कोर्ट बूबानी में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए थे अपीलार्थी को उक्त आदेश की पूरी जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थी द्वारा अपील में दिये गये तर्क अस्पष्ट एवं गलत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसार आदेश पारित किया है। सिवायचक भूमि पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण/ निर्माण कर रखा है। अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार नहीं है और न ही उसकी आराजी प्रभावित हो रही है। अपीलार्थी द्वारा हैरान व परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–132 व 136 तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को व पक्षकारों की सहमति से दुरुस्त किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 में अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 340 सीआरपीसी के तहत गेगल थाना में एफ.आई.आर. दर्ज है। तहसीलदार, अजमेर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–136 का प्रतिउत्तर दिया हुआ है जिसमें अपीलार्थी की राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रकरण में कोई खातेदारी आराजियात प्रभावित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने धारा 132 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मुहामी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र तहसील अजमेर में स्थित है। जिसके खाता संख्या व खसरा नम्बर वर्किंग 557 रकबा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 558 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वर्तमान खसरा संख्या 733 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म चाह कुंआ एवं खसरा नम्बर 732 मिन रकबा 0.04 हैक्टर व खसरा नम्बर 732 मिन रकबा 0.23 हैक्टर है। जिस पर आने जाने का रास्ता वर्किंग खसरा नम्बर 556 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा किस्म गांव के मार्ग तथा पगडंडिया रास्ते के नाम दर्ज थी जिसे अपीलार्थी अपने कुंए व आराजी में आने जाने वाले रास्ते का उपयोग अपने पूर्वजों के समय से करता चला आ रहा था। उक्त खसरा नम्बर में एक हैण्ड पम्प सरकार के द्वारा निर्मित किया जिसका उपयोग गांव के सभी आमजन करते आ रहे है वहां पर अपीलार्थी के पूर्वज ने एक कमरा जानवरों के चारा रखने हेतु निर्मित करीब 100 साल से कर रखा है व उक्त खसरा वर्किंग नम्बर 555 का वर्तमान खसरा नम्बर 729 रकबा 0.3000 हैक्टर चाही 3 है जबकि खसरा नम्बर 730 का रकबा 0.0200 हैक्टर चाही–3 दर्ज कर राजस्व नक्शा में वर्किंग खसरा संख्या 558 के हिस्से में खसरा नम्बर 730 को दर्शा दिया जबकि खसरा संख्या 730 वर्किंग खसरा संख्या 555 का भाग था। प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 6 के नाम बिना आदेश व अपीलार्थी को सुने अवैधानिक तरीके से नाम दर्ज कर दिया। भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान वर्किंग खसरा व वर्तमान में खसरा नम्बर जिसका विवरण भिन्नप्रकार से है जो कि वर्णित कृषि भूमि आराजी में मिलान क्षैत्रफल व राजस्व नक्शा सन् 1970–71 व सन् 1984–1985 से राजस्व नक्शे में भिन्नता होना साबित है। उक्त संबंध में तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 9–12–2021 में उल्लेखित है कि वर्किंग जमाबंदी एवं वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 555 मिन रकबा 0. 30 के हाल खसरा नम्बर 629 रकबा 0.30 एवं वर्किंग खसरा नम्बर 555 मिन रकबा 0.02 का हाल खसरा नम्बर 730 राकबार 0.02 हैक्टर भूमि वर्तमान में खातेदार कैलाशचन्द पुत्र गोपी, प्रभुलाल पुत्र गोपी, मुन्नालाल पुत्र गोपी जाति ढोली वगैरह के नाम दर्ज है। वर्किंग खसरा नम्बर 556 मिन रकबा 0.19 हाल खसरा नम्बर 731 रकबा 0.19 किस्म गैर0मु0रास्ता खातेदार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है। वर्किंग खसरा नम्बर 557 व 558 के नवीन खसरा नम्बर 732 व 733 में खातेदार उगमा पुत्र भोमा 1/3 हिस्सा रावत व धर्मा पुत्र लादू 1/3 हिस्सा, माया पुत्री लक्ष्मण 1/9 हिस्सा रावत, मोहन सिंह पुत्र लक्ष्मण 1/9 हिस्सा व सीताराम पुत्र लक्ष्मण 1/9 हिस्सा रावत के नाम दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी एवं हाल रेकार्ड के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित खसरा नम्बर 730 रकबा 0.02 गत वर्किंग खसरा नम्बर 556 मिन किस्म गैर मुमकिन रास्ता का भाग है तथा उक्त खसरा

नम्बर 730 रकबा 0.02 किस्म चाही –3 त्रूटिपूर्ण रूप से प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 6 व अन्य के नाम दर्ज हो गया है। उक्त गत खसरा नम्बर 556 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा की किस्म गत रेकार्ड अनुसार गै0मु0रास्ता दर्ज है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से पक्का निर्माण किया हुआ है। अपीलार्थी द्वारा गै0मु0 रास्ते के खसरा नम्बर 556 के राजस्व रेकार्ड अनुसार हाल राजस्व रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 731 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ता में खसरा नम्बर 730 रकबा 0.02 को मर्ज कराना चाहता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी की राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रकरण में कोई खातेदारी आराजियात प्रभावित नहीं हो रही है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 132 एवं 136 के तहत प्रत्यर्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात में से रकबा कम कर धारा 132, 136 के तहत दुरूस्ती की कार्यवाही नहीं की जा सकती है न ही पैमाईश करवाकर वर्तमान नक्शा व जमाबंदी दुरूस्ती की कार्यवाही की जा सकती है। चूंकि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–132 व 136 के तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को व पक्षकारों की सहमति से दुरुस्त किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी एवं नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 में अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी एवं नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–12–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2020 सीताराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर